न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/139/2022	2022/299	19.12.2022	26.03.2024

1.सरकार जरिये दिनेश चौबे, प्रवर्तन निरीक्षक, राजगढ, मुख्यालय अलवर।

बनाम

1.श्री रामानंद शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा, रेलवे स्टेशन के पास, राजगढ।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0 एवं 2 छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा0, 3 बिना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर का राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः–
01. श्री गोविन्द सिद्ध — वकील रैस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

प्रवर्तन निरीक्षक राजगढ, मुख्यालय अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रस्तुत किया है। दिनांक 15.12.2022 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं दिनेश चौबे, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलु गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री रामानंद शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा की दुकान रेलवे स्टेशन के पास, राजगढ पर पहुंचे। मौके पर श्री रामानंद शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा, रेलवे स्टेशन के पास, राजगढ की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0(5 भरे हुए एवं 3 खाली एचपी के) एवं 2 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा0) 3 बिना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर मिले। श्री रामानंद शर्मा द्वारा घरेलु सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत् कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री रामानंद शर्मा के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0(5 भरे हुए एवं 3 खाली एचपी के) एवं 2 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा0) 3 बिना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0(5 भरे हुए एवं 3 खाली एचपी के) एवं 2 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा0) 3 बिना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर को मै0 जैफ एजेंसी, स्टेशन रोड राजगढ, जिला अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0(5 भरे हुए एवं 3 खाली एचपी के) एवं 2 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा0) 3 विना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील गोविन्द सिद्ध उपस्थित। अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस 1528 दिनांक 27.12.2022 के क्रम में अपने जवाब में निवेदन किया कि नोटिस का पैरा न0 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है अप्रार्थी का इससे कोई संबंध नहीं है। नोटिस का पैरा न0 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार है। नोटिस का पैरा न0 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है उक्त क्रम में अप्रार्थी रामानंद शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा की विघुत मोटर रिपेयरिंग के कार्य की दुकान है और इसी के साथ एच0पी0 गैस सर्विस राजगढ का वी0एल0ई0 का संचालन का कार्य करने हेतु उनके द्वारा अप्रार्थी को अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पुष्ठी में उनके द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र संलग्न है। दिनांक 15.12.2022 को श्री दिनेश चौबे प्रवर्तन निरीक्षक मेरी वी0एल0ई0 पर आये। उस समय मौके पर चार भरे सलेण्डर व चार खाली सलेण्डर, घरेलु सलेण्डर व 2 सलेण्डर 5 किग्रा0 भरे हुए दिखाए गए हैं। वह गलत है। उक्त सलेण्डर एच0पी0 गैरस सर्विस राजगढ की वितरण गाडी में अधिक लोड होने के कारण मेरे यहां वी0एल0ई0 पर उनके द्वारा उतारे थे। जिसके संबंध में स्वयं मालिक जैफ गैस सर्विस राजगढ द्वारा अपने पत्र पर दिनांक 23.01.2023 को उल्लेख कर स्वीकार किया है। पत्र की प्रति संलग्न है। अप्रार्थी की दुकान जहां पर विघुत मोटर रिपेयरिंग का कार्य भी करता है। वहां से खराब हालत की मोटर जा ठीक होने के लिए अप्रार्थी के पास आई थी और वो अप्रार्थी की दुकान के स्टोर में रखी थी व चालू हालत में भी नहीं थी को भी अवैध रूप स्टोर से जब्त की है। जो कार्यवाही भी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः इस प्रकार बिन्दुवार जबाव श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है जो भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। वह निराधार है स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए अप्रार्थी की नोटिस की कार्यवाही ड्राप की जावे तथा जब्त सुदा सलेण्डर मालिक जैफ गैस सर्विस राजगढ को रिलिव की जावे तथा अप्रार्थी की खराब विद्युत मोटर जो उसे ठीक करके संबंधित को उपलब्ध कराई जानी है उसे भी रिलीव किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। दिनांक 15.12.2022 को दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री रामानंद शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा, रेलवे स्टेशन के पास, राजगढ की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0 (5 भरे हुए एवं 3 खाली एचपी के), 2 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा0) एवं 3 बिना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर मिले। श्री रामानंद शर्मा द्वारा घरेलु सिलेण्डरों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

रखे जाने बाबत् कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री रामानंद शर्मा के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा भी नोटिस के जवाव में कोई खास तथ्य पेश नहीं किए गए हैं और न ही जवाब के साथ उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों एवं इलेक्ट्रिक मोटरों के संवंध में कोई साक्ष्य, सबूत पेश किए गए हैं प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्त किए गये 8 घरेलु सिलेण्डर 14.2 किग्रा0 (5 भरे हुए एवं 3 खाली एचपी के), 2 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा0) एवं 3 विना मार्का की इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/3/24

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर